# भारत निर्माण सेवक

## महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005

### -एक संक्षिप्त परिचय

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0

लखनऊ - 226202

# मेरा दायित्व

- समुदाय से निरन्तर सम्पर्क करना।
- समुदाय को प्रोत्साहित करना।
- समुदाय का सहयोग करना।
- आँख, कान की भूमिका निभाना।
- समुदाय तथा विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना।


**संरक्षण एवं मार्गनिर्देशन**

**एन.एस. रवि**
आई.ए.एस.
महानिदेशक

**सम्पादक**

**डा. ओ0पी0 पाण्डेय**
संयुक्त निदेशक

**संकलन एवं प्रस्तुतीकरण**

- डॉ. राज किशोर
- नवीन चन्द्र अवस्थी
- डॉ. ओमेन्द्र कुमार यादव
- शिव भगवान
- सुमन पाण्डेय
- मुद्रिका शर्मा

**अन्य सहयोगी**

- माला पाण्डेय
- अनुज कुमार दुबे
- राजेन्द्र कुमार

प्रथम संशोधित संस्करण


©एस.आई.आर.डी.यू.पी. वर्ष: 2015

**एन.एस.रवि**
आई.ए.एस.

महानिदेशक
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ.प्र.
लखनऊ–226202

# संदेश

ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण सेवकों को गतिशील करने का कार्य उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

ये सेवक ग्रामीण विकास, पंचायतीराज तथा समस्त लाइन डिर्पाटमेन्ट की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में योजना नियोजन, क्रियान्वयन, अनुसरण आदि में परामर्शदाता/प्रेरक/ सुविधादाता के रूप में निःशुल्क अपना योगदान एवं सेवा प्रदान करेंगे। ग्रामीण समुदाय से ही चयनित ये सेवक विभिन्न लाभकारी योजनाओं एवं लाभार्थियों के मध्य एक मजबूत कड़ी का काम करते हुए कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित सूचनाओं को आम– जनमानस तक पहुँचायेंगे।

इन सेवकों तथा ग्रामीण समुदाय को इस योजना के विषय में सरल एवं स्पष्ट जानकारी देने के उद्देश्य से संस्थान के डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय, संयुक्त निदेशक व उनकी टीम द्वारा विभिन्न स्रोतो से संकलित कर यह संदर्भ साहित्य विकसित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। आशा है विभिन्न विकास योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में भारत निर्माण सेवकों की क्षमता विकास के लिए यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

एन.एस.रवि
महानिदेशक

# महात्मा गांधी नरेगा योजना की मुख्य बातें

- एक सौ छप्पन रूपये अथवा उससे अधिक रोजाना मजदूरी।
- एक दिन में 70 घन फुट मिट्टी खोदने पर दिहाड़ी पक्की।
- बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल मण्डल में 60 घन फुट मिट्टी खोदने पर दिहाड़ी पक्की।
- बैंक खातों से मजदूरी का भुगतान, मजदूरी में कटौती बन्द।
- 15 दिवस में मजदूरी बैंक खातों में पहुँचाना जरूरी ।
- प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को नरेगा तहसील दिवस।
- लिखित में काम मांगें, मांग की रसीद अपने पास रखें।
- 14 दिवस में काम देना जरूरी, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता जरूरी।
- बेरोजगारी भत्ता के लिए मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी के पास दावा करें।
- महिलाओं, वृद्धों तथा विकलांग जनों को भी रोजगार की मांग करने पर पूरी एक सौ छप्पन रुपये की मजदूरी।
- अपने खेतों में काम करायें, हरियाली खुशहाली और समृद्धि लायें तथा नरेगा की परियोजनाओं का लाभ उठायें।

# राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत सभी व्यस्क जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर अस्थायी शारीरिक मजदूरी करने को तैयार हों, उन्हें काम के लिए आवेदन देने के 15 दिन की अवधि के अन्दर काम पाने का हक होगा। अगर 15 दिन की अवधि में काम न उपलब्ध करवाया गया तो मजदूर बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।

## मुख्य विशेषताएं

### योग्यता

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और ग्रामीण इलाके में रहता हो उसे कानून के तहत काम का आवेदन करने का हक है।

### पात्रता

- परिवार के सिर्फ व्यस्क सदस्य जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं।
- अकुशल श्रमिक जो शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हों।
- पंचायत का निवासी हो भले ही वह क्षेत्र से विस्थापित हो चुका हो या विस्थापित होने के कुछ समय बाद वापस आ गया हो।

### हकदारी

किसी भी आवेदक को आवेदन के 15 दिन की अवधि में जितने दिन वह चाहे उतने दिन का काम पाने का हक होगा, बशर्ते यह 100 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा से अधिक न हो।

**सबको उचित रोजगार मिलेगा**
**सम्मान सुविधाओं के साथ मिलेगा।**

## कार्यस्थल

जहॉ तक संभव हो आवेदक को उसके आवास से 05 किमी के दायरे के अंदर ही काम उपलब्ध करवाया जायेगा। अगर काम इससे अधिक दूरी पर हो तो अतिरिक्त मजदूरी 10 प्रतिशत दिया जायेगा।

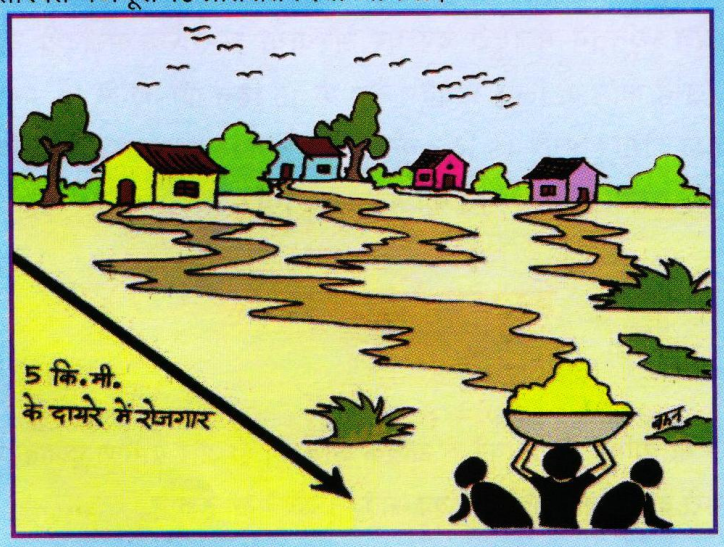


## मजदूरी

सभी श्रमिकों को राज्य में कृषि मजदूरों के लिए मान्य न्यूनतम मजदूरी पाने का हक होगा। वर्तमान में एक सौ छप्पन रूपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। मजदूरी का भुगतान मजदूर के खाते में किये जाने का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया हैं।

## मजदूरी भुगतान का समय

जिस पखवारे काम किया जाये उसके पन्द्रह दिनों की अवधि में मजदूर के बैंक खातों में भुगतान हो जाना चाहिए।

## बेरोजगारी भत्ता

अगर आवेदन के 15 दिन की अवधि में आवेदक को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा तथा आगामी दिनों के लिए मजदूरी का आधा होगा। यह भत्ता प्रथम 30 दिनों के लिए मजदूरी का एक चौथाई होगा।

**पन्द्रह दिन में यदि मिले न काम।**
**बेरोजगारी-भत्ते से चलेगा काम।।**

## कार्यस्थल पर सुविधायें

कानून के तहत रोजगार पाने वाले मजदूरों को कई सुविधायें मुहैया करवायी जायेंगी जैसे पीने का पानी, आराम करने के लिए छाया, आपात–कालीन स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों की देखभाल हेत क्रेच आदि।

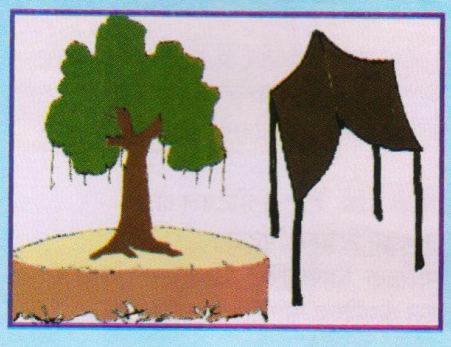

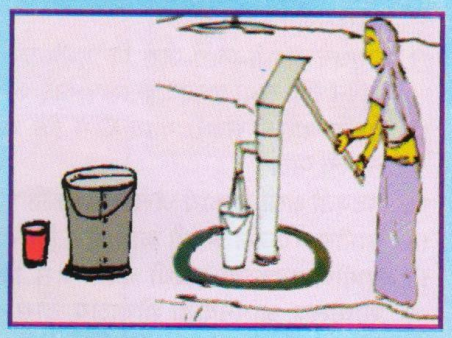

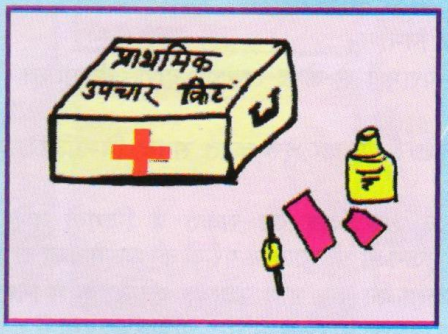


## अनुमन्य कार्य

**(क)** निम्नलिखित कार्यों पर प्राथमिकता का क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत (जीपी) द्वारा ग्राम सभा (जीएस) और वार्ड की बैठकों में निर्धारित किया जाएगा।

1. कंटूर ट्रेंच (समान गहराई वाली खाई) समोच्च बांध, पत्थर के रोक बांध (बोल्डर चौक), बेलनाकार संरचनाएं, भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, रोक बांध, तथा स्प्रिंगशेड विकास सहित जल संरक्षण एवं जल संचय।
2. सूखे से बचाव के लिए वनरोपण और वृक्षारोपण।
3. सिंचाई के लिए सूक्ष्म और लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।
4. अनुसूची–I पैराग्राफ 1(ग) में निर्दिष्ट परिवारों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधाओं, खेत में बनाए गए तालाब, बागवानी, पौधरोपण, खेत बांध और भूमि विकास का प्रावधान।
5. परम्परागत जल निकायों के पुनर्जीवीकरण सहित जलाशयों की गाद निकालना।
6. भूमि विकास।
7. बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी, बाढ़ नालों (चौनलों) को गहरा करना और मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए स्टोर्मवाटार ड्रेनो का निर्माण शामिल है।

8. ग्रामों के भीतर जहां भी आवश्यक हो, पुलियों और सड़कों की व्यवस्था सहित बारहमासी सड़क संपर्कता मुहैया कराने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता।
9. ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द के रुप में भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केन्द्र तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण।
10. कृषि से संबंधित कार्य जैसे कि एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी–कम्पोस्टिंग, तरल–जैव खाद।
11. पशुधन संबंधी कार्य जैसे कि मुर्गीपालन शेल्टर, बकरी शेल्टर, पक्का फर्श निर्माण, यूरिन टैंक तथा पशुओं के लिए चारे की गाद, पशु आहार पूरक के रुप में अजोला।
12. मत्स्य पालन संबंधी कार्य जैसे कि सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मछली पालन।
13. तटवर्ती क्षेत्रों में कार्य जैसे कि मछली सुखाने के यार्ड, बेल्ट बेजीटेबल क्षेत्र।
14. ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य जैसे कि सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट्स।
15. ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य जैसे कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय, ठोस व तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन।
16. आंगनवाड़ी केन्द्रों का संनिर्माण।
17. खेल के मैदानों का निर्माण।
18. राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कोई अन्य कार्य।

**(ख)** मनरेगा के अन्तर्गत कार्यों को शुरु करते समय, निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए :

1. केवल वे ही कार्य शुरु किए जा सकते हैं जिनके परिणाम स्वरुप टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन हो और ग्रामीण गरीबों की आजीविका के संसाधन मज़बूत हों।
2. कार्यों की प्राथमिकता का क्रम ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित होगा और उसे ग्राम सभा द्वारा 15 अगस्त हो अनुसमर्थित वार्षिक योजना में दर्शाया जाएगा।
3. ग्राम पंचायत के स्तर पर कराये जाने वाले सभी कार्यों के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर मजदूरी एवं कार्य सामग्रियों पर व्यय का अनुपात 60:40 बरकरार रखा जाना चाहिये। अन्य सभी एजेंसियों की ओर से कराये गये काम के लिए प्रखंड/मध्यस्तरीय पंचायत के स्तर पर यह अनुपात कायम रखा जाना चाहिये।
4. कार्यों के निष्पादन में किसी भी ठेकेदार तथा मशीनरी के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द्वितीय संशोधन जारीकर 11 परियोजनाओं को लागू करने की अधिसूचना जारी की है, जो इस प्रकार है–

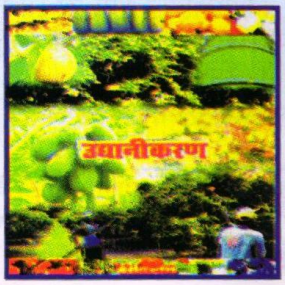

जल ग्रहण क्षेत्र
प्रबन्धन परियोजना


जल संचयन
व
जल संवर्धन


ग्रामीण आजीविका का
सुदृढ़ीकरण-पेयजल
व्यवस्था


रेशम परियोजना


मत्स्य पालन
परियोजना


जीवन ज्योति
परियोजना
- जेट्रोफा


जीवनशक्ति
- औषधीय


वनीकरण

## शिकायती अधिकारी

रोजगार गारण्टी योजना के विभिन्न स्तरीय समन्वयक कार्यक्रम अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

| | | |
|---|---|---|
| विकास खण्ड स्तर– | | बी.डी.ओ. (कार्यक्रम अधिकारी) |
| जिला स्तर | – | उपायुक्त (मनरेगा)/ सी.डी.ओ./ डी.एम. |
| राज्य स्तर | – | अपर आयुक्त (मनरेगा सेल) |

## काम मांगनें की प्रक्रिया का आवेदन

ग्राम पंचायत स्तर – ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव को आवेदन करें।

## ठेकेदारी प्रथा पर नियंत्रण

निजी ठेकेदारों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है, मशीनों से काम प्रतिबन्धित है।

## कार्य योजना

ग्राम सभा की खुली बैठकों में अनुमन्य कार्य हेतु कल्याणकारी कार्य योजनायें बनायी जायेंगी।

## क्रियान्वयन संस्थाएं

रोजगार गारण्टी योजना का कार्य **"क्रियान्वयन संस्थाओं"** द्वारा करवाएं जायेंगे। इनमें सबसे पहले ग्राम पंचायतें, अन्य पंचायती राज संस्थाएं, सार्वजनिक निर्माण व वन विभाग जैसे सरकारी विभाग तथा गैर– सरकारी संस्थाएं भी क्रियान्वयन संस्थाओं के रूप में काम कर सकेंगी।

## महिलाओं की भागीदारी

काम के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलायें होगी।

## पारदर्शिता और जवाबदेही

अधिनियम में पारदर्शिता व जवाबदेही के कई प्रावधान दिये गये हैं, जैसे–ग्राम सभाओं द्वारा नियंत्रित सामाजिक अंकेक्षण, अनिवार्य रूप से मस्टर रोल दिखाना, रोजगार गारण्टी योजना के सभी दस्तावेजों तक जनता की पहुँच, जॉब कार्डो को नियमित रूप से भरना आदि।

## दण्ड का प्रावधान

अधिनियम के अनुसार जो भी व्यक्ति के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे दोषी पाये जाने पर वित्तीय जुर्माना भरना होगा, जो रू0 1000/– तक हो सकता है।

**महिलाओं को काम मिलेगा,**
**समग्र विकास में योगदान बढ़ेगा**

# प्रक्रियागत जानकारी

## मनरेगा के तहत रोजगार के लिए आवेदन

- मनरेगा का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में प्रति इच्छुक परिवार सौ दिन की मजदूरी सहित रोजगार गारण्टी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।
- इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर के वयस्क सदस्य को स्वयं सेवक के तौर पर अकुशल कार्यो में लगाया जाता है।

**मनरेगा योजना का सपना,**
**सबको मिले रोजगार अपना**

# कार्य के लिए आवेदन

## आवेदन कैसे करें

- आवेदन लिखित रूप में दिया जाना चाहिए और इसमें रोजगार कार्ड की पंजीकरण संख्या, जिस तारीख से रोजगार की आवश्यकता है और रोजगार के आवश्यक दिनों की संख्या को शामिल करना चाहिए।
- इस आवेदन में घर के उन वयस्क सदस्यों का नाम, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, शामिल करना चाहिए और उनकी उम्र, लिंग और एस0सी0 / एस0 टी0 के स्तर का विवरण भी दर्ज करना चाहिए।

## आवेदन कहां करें

कार्य के लिए आवेदन आमतौर पर ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना चाहिए। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर पंजीकरण के लिए मौखिक अनुरोध कर सकता है।

## पंजीकरण का समय क्या है

स्थानीय ग्राम पंचायत अधिकारी को सादे कागज पर किसी भी कार्य दिवस के दौरान सुबह 10 बजे से सायं 05 बजे के बीच पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

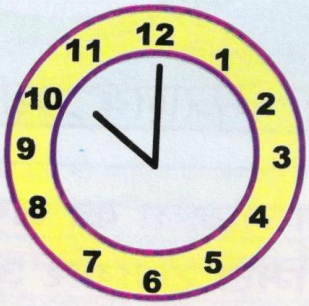

## लक्षित समूह कौन है

ग्रामीण परिवार जिनका वयस्क सदस्य स्वयं सेवक के तौर पर अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं।

## इससे लाभ क्या हैं

यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन के रोजगार की गारण्टी प्रदान करती है। वर्तमान में प्रति दिवस एक सौ छप्पन रूपये की दर से मजदूरी का प्राविधान है।

- एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार
- आवेदन से 15 दिन के अन्दर काम मिलना
- 15 दिन में काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता मिलना
- श्रमिकों का शहर की ओर पलायन का रूकना
- 5 किमी0 से अधिक दूरी पर काम मिलने पर अतिरिक्त मजदूरी मिलना

## पंजीकरण संख्या आवंटन

आवेदनों का सत्यापन ग्राम पंचायतों के संबंध में स्थानीय निवास के बारे में होता है और घर को एक इकाई के रूप में माना जाता है। सत्यापन के तहत यह तथ्य पता लगाया जाता है कि आवेदक घर का वयस्क सदस्य है या नहीं। सत्यापन के बाद ग्राम पंचायत पंजीकरण रजिस्टर में सभी विवरण दर्ज करती हैं। इस प्रकार प्रत्येक पंजीकृत घर को एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती हैं।

## रोजगार कार्ड का जारी होना

- ग्राम पंचायत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को रोजगार कार्ड जारी करती है।
- रोजगार कार्ड, पंजीकरण के लिए आवेदन करने के एक पखवाड़े के भीतर अर्थात् सत्यापन के तुरन्त बाद जारी किया जाता है।
- आवेदकों का फोटोग्राफ कार्ड में संलग्न होता है।
- रोजगार कार्ड की एक प्रति ग्राम पंचायत में रखी जाएगी।

## रोजगार कार्ड में परिवर्तन

रोजगार कार्ड की अवधि पांच साल की होगी। इस दौरान उसमें मौजूद सदस्यों के नाम कभी भी हटायें/जोड़े जा सकते हैं। अगर किसी परिवार में किसी वयस्क आवेदक की मृत्यु हो जाती है या कोई वयस्क सदस्य स्थायी रूप से कहीं और जाकर बस जाता है, तो इस बात की खबर संबंधित परिवार को फौरन पंचायत में देनी होगी।

इसके अतिरिक्त अगर आवेदक परिवार रोजगार कार्ड में किसी नए वयस्क सदस्य का नाम जुड़वाना चाहता है तो इसके लिए भी परिवार को अलग से आवेदन देना होगा।

## प्रतिलिपि रोजगार कार्ड

रोजगार कार्ड धारक मूल कार्ड के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर रोजगार कार्ड की नकल की मांग कर सकता है। इस आशय का आवेदन भी ग्राम पंचायत को किया जाएगा और उस पर भी वैसे ही कार्यवाही की जाएगी जिस तरह नए आवेदन पर कार्यवाही की जाती है।

## शिकायत

रोजगार कार्ड न जारी होने के सवाल पर श्रमिक परिवार कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक/ब्लॉक/जिला शिकायत निपटारा अधिकारी के पास शिकायत भेज सकता है। सभी शिकायतें 15 दिनों के भीतर निपटाई जाएगी।

**जन-जन का कल्याण होगा**
**सबके हाथ में रोजगार होगा**

# भारत निर्माण सेवक की भूमिका

- योजना की जानकारी सभी ग्रामीणों एवं समुदाय तक पहुँचाना।
- इच्छुक परिवारों को जॉब कार्ड दिलाने में मदद करना।
- इच्छुक परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- समुदायिक सहभागिता एवं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में सहयोग करना।
- समय से मजदूरी भुगतान हेतु श्रमिकों तथा क्रियान्वयन संस्था की मदद करना।
- कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में क्रियान्वयन संस्था की मदद करना।
- हितग्राहियों के हितों की रक्षा करना।
- ग्राम सभा को क्रियाशील एवं गतिशील बनाने हेतु पंचायत को प्रेरित करना।
- ग्राम सभा की समय–समय पर बैठक कराने में पंचायत की सहायता करना।

- ग्रामीण विकास हेतु ग्राम विकास योजना तैयार कराने में पंचायत की सहायता करना।
- योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन हेतु ग्राम सभा के साथ सहयोग एवं समन्वय करना।
- योजनान्तर्गत आय सृजन एवं सामाजिक विकास को गति प्रदान कर ग्रामीण विकास को त्वरित करना

# भारत निर्माण सेवक - सामाजिक दायित्व

- पहल हेतु प्रेरित करना
- पहल को महत्व देना
- पहल को पहचान देना
- पहल को प्राथमिकता देना
- पहल का समर्थन
- पहल को प्रोत्साहन देना
- पहल में भागीदार होना
- पहल का कार्यान्वयन कराना

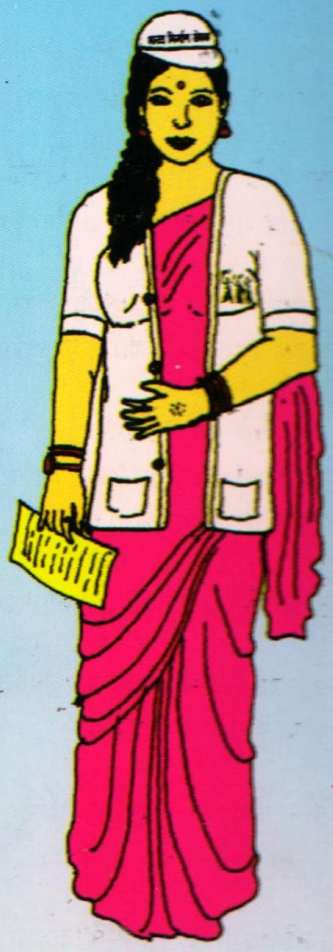

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र
बख्शी का तालाब, इन्दौराबाग, लखनऊ - 226202
के द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित
दूरभाष : 05212-298291, 298292 फैक्स - 05212-298209
E-mail: sirdup2005@rediffmail.com
Website : www.sirdup.in